कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शिप्र/29224/2017 दिनांक : 17.11.17

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्वशिक्षा अभियान, समस्त जिला

2 समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईटस

विषय –राष्ट्रीय मुक्तविद्यालयीशिक्षासंस्थान (NIOS) द्वारा निर्धारित किए गए D.El.Ed. पाठ्यक्रम में पंजीकृत शिक्षकों के प्रवेश की प्रक्रिया की पुष्टि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23(2) को संसद द्वारा संशोधित कर सभी प्रारम्भिक सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है तथा ऐसे शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने का अन्तिम अवसर दिया गया है। मानवसं साधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O.No. 17.2/2/2017-EE.17 दिनांक 03.08.2017 से प्राप्त सूचना अनुसार "Any teacher in the aforementioned schools, who doesn't have the minimum qualifications mandated under the RTE Act, 2009, would not be allowed to continue in-service beyond 1st April, 2019 and procedure for dismissal shall be initiated against such teachers." निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खण्ड 23(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा प्रक्षेत्र के सभी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को NIOS के D.El.Ed.कार्यक्रम के तहत ODL Mode में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। गैर अहर्ताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकोंको http://dled.nios.ac.in पर D.El.Ed.पाठ्यक्रम पंजीयन / नामांकन कराने का अवसर दिनांक 15.11.2017 तक दिया गया था। अन्तिम तिथि पश्चात अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा D.El.Ed.पाठ्य क्रम हेतु पंजीयन एवं सत्यापन की जिलेवार स्थिति निम्नलिखित है–

SN	District Name	Total Registered	Admission Confirmed out of Total	Payment Process Completed	Payment yet to be Made	Pending for verification
A	B	C	D	E	F	G
1	AJMER	1540	1248	1528	12	280
2	ALWAR	1148	816	1118	30	302
3	BANSWARA	1382	1001	1371	11	370
4	BARAN	999	783	992	7	209
5	BARMER	2147	1717	2103	44	386
6	BHARATPUR	778	640	770	8	130
7	BHILWARA	2404	1978	2357	47	379
8	BIKANER	1163	908	1136	27	228
9	BUNDI	604	455	591	13	136
10	CHITTAURGARH	1727	1461	1707	20	246
11	CHURU	980	828	960	20	132
12	Dausa	1042	891	1027	15	136
13	DHAULPUR	703	609	685	18	76
14	DUNGARPUR	937	798	931	6	133
15	GANGANAGAR	625	505	596	29	91
16	HANUMANGARH	372	280	350	22	70
17	JAIPUR	2737	2108	2628	109	520
18	JAISALMER	565	459	550	15	91

www.rajteachers.com

19	JALOR	978	708	946	32	238
20	JHALAWAR	1184	1064	1177	7	113
21	JHUNJHUNU	409	325	399	10	74
22	JODHPUR	2804	2204	2737	67	533
23	KARAULI	744	608	736	8	128
24	KOTA	1117	960	1107	10	147
25	NAGAUR	1581	1282	1546	35	264
26	PALI	1217	1017	1196	21	179
27	PRATAPGARH	1024	905	1014	10	109
28	RAJSAMAND	969	809	948	21	139
29	SAWAIMADHOPUR	797	640	770	27	130
30	SIKAR	653	499	621	32	122
31	SIROHI	884	795	878	6	83
32	TONK	782	652	773	9	121
33	UDAIPUR	3079	2506	3044	35	538
	Total	**40075**	**32459**	**39292**	**783**	**6833**

उक्त सारणी के अनुसार जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य–

- कॉलम संख्या **F** के अनुसार ऐसे आवेदनकर्ता शिक्षक, जिनके द्वारा शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई है। रजिस्ट्रेशन के 05 दिवस की अवधि में शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाए अन्यथा प्रवेश की पुष्टि किया जाना संभव नहीं होगा।
- कॉलम संख्या **G** के अनुसार आपके जिले के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षक आवेदनकर्ता, जिनका रजिस्ट्रेशन **NIOS** पोर्टल पर D.El.Ed.पाठ्यक्रम हेतु हो चुका है किन्तु विद्यालय स्तर से सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसे विद्यालयों को अविलम्ब सत्यापन करने हेतु पाबन्द किया जाए। इस सम्बन्ध में सूचित हो कि ऐसे निजी / सरकारी विद्यालय जिनका रजिस्ट्रेशन NIOS पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें छः बिन्दुओं की सूचना यथा–

1	Principal Name	4	Mobile No
2	UDISE Code of the School	5	Aadhaar No
3	Principal email	6	Type of School (Govt. or Pvt.)

- उक्त 06 बिन्दुओं की सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा **NIOS** राज्य समन्वयक की ईमेल आई. डी. **rcjaipur@nios.ac.in**पर भिजवा कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कराने हेतु आपके कार्यालय स्तर से इस का जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधिकाधिक प्रचार प्रसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से करवाते हुए कार्य की सघन मॉनीटरिंग किए जाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पंजीकृत अप्रशिक्षित शिक्षक पाठ्यक्रम से लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर एनआईओएस राज्य समन्वयक श्री के0एल0 गुप्ता मो0नं0 9929640220 एवं निदेशालय, प्रारम्भिकशिक्षा राज0 बीकानेर के सहायकनिदेशक (प्रशिक्षण) श्री सुनील कुमार गोगिया के मोबाईल नं0 9474605068 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न–जिलेवार पंजीकृत अभ्यर्थियों की विस्तृत विवरण सूची।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:–

1.संयुक्त शासन सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)विभाग,जयपुर

2. आयुक्त,राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर

3. क्षेत्रीय निदेशक,क्षेत्रीय केन्द्र (NIOS) डी–11,12 रूपविहार कालोनी,मोहनमार्ग,कराली गार्डन के सामने,न्यू सांगानेर रोड,जयपुर–302006

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

www.rajteachers.com